कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक, गोड्डा।

नया समाहरणालय भवन, 3rd Floor "C" Block, गोड्डा (झारखंड)-814133
Email ID-dsegodda@gmail.com

प्रपत्र–2

पत्रांक 1667 /

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधीक्षक,
गोड्डा।

सेवा में,

प्रबंधक / अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य,
भारत भारती पब्लिक स्कूल, गोड्डा,
अंचल–गोड्डा, जिला–गोड्डा।

गोड्डा, दिनांक 09.10.2024

विषय :– **निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए, झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम के अधीन एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) झारखण्ड, राँची के अधिसूचना ज्ञापांक–629, दिनांक–25.04.2019 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि सरकार के सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड, राँची की अधिसूचना संख्या–629, दिनांक 25.04.2019, पत्रांक–464, दिनांक 20.03.2023, तथा पत्रांक–972, दिनांक 21.07.2023 के द्वारा निजी विद्यालयों की मान्यता हेतु ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों के आलोक में ऑनलाईन के माध्यम से मान्यता प्रदान करने का प्रावधान है। विभागीय कार्यवाही की प्रति ऑनलाईना उपायुक्त, गोड्डा के पोर्टल में अपलोड नहीं होने के कारण विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने हेतु NOC प्रमाण पत्र निर्गत करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक–1613, दिनांक 30.09.2024 के द्वारा निदेशक(प्रा०शि०), झारखण्ड, राँची से मार्गदर्शन की भी मांग की गयी है। अद्यावधि मार्गदर्शन अप्राप्त है। दिनांक 12.12.2023 को सम्पन्न जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति, गोड्डा की बैठक में सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा लिये गये निर्णय तथा उपायुक्त, गोड्डा द्वारा दिये गये आदेश के आलोक में ऑफलाईन के माध्यम से भारत भारती पब्लिक स्कूल, गोड्डा, अंचल–गोड्डा, जिला–गोड्डा को शैक्षणिक सत्र 2023–24 से कक्षा 1 से 8 तक के लिए विभागीय शर्त्तों के अनुसार औपबंधिक रूप से तीन वर्षों के लिए मान्यता प्रदान की जाती है। भविष्य में विभाग द्वारा प्रतिकूल आदेश पारित होने की स्थिति में यह आदेश पूर्णतः प्रभावित होगा। आपके विद्यालय को छः माह के अन्दर सभी विभागीय शर्त्तों को अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा, अन्यथा मान्यता वापस ले ली जाएगी तथा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

उपरोक्त मान्यता निम्नलिखित शर्त्तों के अधीन हैः–

1. इस मान्यता में किसी भी रूप में कक्षा–08 के पश्चात् मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के उपबंधों को एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) झारखण्ड, राँची के अधिसूचना ज्ञापांक–629, दिनांक–25.04.2019 में उल्लेखित प्रावधानों का अक्षरशः पालन किया जाए।
3. विद्यालय अपनी प्रथम कक्षा में उस कक्षा में बच्चों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा, और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो जाने तक उपलब्ध करायेगी।
4. उक्त कंडिका–03 में उल्लेखित बच्चों के लिए विद्यालय की अधिनियम की धारा–12 की उपधारा (2) के उपबंधों के तहत प्रतिपूर्ति राशि हेतु विद्यालय का एक अलग बैंक खाता संधारित करेगा।
5. विद्यालय किसी भी प्रकार से बच्चों या उनके अभिभावक से कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और विद्यालय में नामांकन हेतु किसी बच्चे या उनके माता–पिता या अभिभावक का किसी प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लेगा।

6. विद्यालय किसी बच्चे को, उसकी आयु का सबूत नहीं होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और ऐसे स्थिति में अधिनियम की धारा–15 के उपबंधों का पालन किया जायेगा।
7. विद्यालय निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करेगा :–
   i. प्रवेश दिये गये किसी भी बच्चे को, विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
   ii. किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा।
   iii. प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
   iv. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधान के आलोक में प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।
   v. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।
   vi. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा–23(1) के अधीन घोषित सक्षम प्राधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम अहर्ताएँ के अनुरूप किया जायेगा तथा जिनके पास उस निर्धारित न्यूनतम अहर्ता, 2009 के लागू होने के समय नहीं है, पांच वर्ष के भीतर ऐसी न्यूनतम अहर्ताएँ अर्जित कर लेंगे।
   vii. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन उल्लेखित अपने कर्त्तव्यों का पालन करेंगे और
   viii. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
8. विद्यालय राज्य प्राधिकार द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा उल्लेखित विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाए रखेगा।
10. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी।
11. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाएगा।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उनके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जायेगी।
14. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और जानकारी प्रस्तुत करेगा जो समय–समय पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक / जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकार के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जो मान्यता संबंधी शर्त्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाये।
15. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत इसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रदत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा किया जायेगा।

आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक GOD-10 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख किया जाए।

09.10.24

जिला शिक्षा अधीक्षक,
गोड्डा।
09.10.24
09/10/24

1667
09.10.2024